

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग

दूरभाष:-2415091-95, फ़ैक्स:-0294 - 2410526

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC III)/2021/६२५

दिनांक: २७.03.2021

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके (क्रम संख्या 1 से 57 पर वर्णित ठेकों की अवधि दिनांक 01-04-2021 अथवा संविदा निष्पादन की तिथि जो भी बाद में हो, से 31-03-2023 तक; क्रम संख्या 58 से 61 पर वर्णित ठेकों की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से 31-03-2023 तक तथा क्रम संख्या 62 पर अंकित ठेकों की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से 31-03-2022 तक रहेगी) वार्षिक ठेका राशि पर ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित की जाती है :-

क्र.स.	ठेका क्षेत्र का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रुपयों में)	बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	63	खनि अभियंता, अलवर	जिला अलवर की तहसील थानागाजी की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	62704000	15.03.2021	16.03.2021	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	214	खनि अभियन्ता, मकराना	जिला नागौर की तहसील मकराना के राजस्व ग्राम मकराना, बोरावड, कोलाडूंगरी व मोरेड तथा तहसील परबतसर के राजस्व ग्राम बिदियाद व गुणावती में प्रभावशील क्वार्टी लाईसेंस से निकलने वाले खनिज मारबल व मारबल पाउडर	आरसीसी	मारबल व मारबल पाउडर	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., तुलाई फीस एवं आर.एस.एम.ई.टी	373538500	15.03.2021	16.03.2021	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

3	104	खनि अभियन्ता, जयपुर	जिला जयपुर की तहसील आमेर के ग्राम-खोरा सरणा, नौदड़, बैनाड़ (दौलतपुरा), टोडिदीपुरिया, नारदपुरा, खोराश्यामदास, चेतावाला, बिलूची, कालीघाटी, सिंगवाना, दादर, जगन्नाथपुरा (हनुमानपुरा), खेरवाडी, आछोजाई व चौप की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर व गिट्टी	ईआरसीसी	चेजा पत्थर व गिट्टी	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	103183000	15.03.2021	16.03.2021	10.30 ए.एम. से 12.30 दोपहर
4	227	खनि अभियन्ता, उदयपुर	सम्पूर्ण जिला उदयपुर (तहसील ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलुम्बर व लसाडिया को छोड़कर) की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनिज मेसेनरी स्टोन के खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	101682600	15.03.2021	16.03.2021	10.30 ए.एम. से 12.30 दोपहर
5	202 व 4	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर की तहसील डिडवाना के क्षेत्र कोलिया, बालिया पीर पहाड़ी एवं रायसिंहपुरा की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	14937500	15.03.2021	16.03.2021	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
6	182	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा	जिला चित्तौड़ की तहसील भदोसर, बड़ी सादड़ी, निम्बाहेडा, व डूंगला की राजस्व सीमा में खनिज रेडऑकर, चाईनाक्ले, येलोऑकर, क्वार्टज, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रेडऑकर, चाईनाक्ले, येलोऑकर, क्वार्टज, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट	ईआरसीसी	रेडऑकर, चाईनाक्ले, येलोऑकर, क्वार्टज, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	30421600	15.03.2021	16.03.2021	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.

7	192	खनि अभियन्ता, राजसमंद-II	जिला राजसमंद की तहसील कुम्भलगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा एवं रेलमगरा की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फेल्सपार, केलसाईट, माईका, सोपस्टोन, डोलोमाईट, सिलिका सैण्ड एवं पायरोफिलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फेल्सपार, केलसाईट, माईका, सोपस्टोन, डोलोमाईट, सिलिका सैण्ड एवं पायरोफिलाईट	ईआरसीसी	क्वार्टज, फेल्सपार, केलसाईट, माईका, सोपस्टोन, डोलोमाईट, सिलिका सैण्ड एवं पायरोफिलाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई. टी	155480900	15.03.2021	16.03.2021	11.30 ए.एम. से 01.30 पी.एम.
8	161	खनि अभियन्ता, उदयपुर	संपूर्ण जिला उदयपुर एवं जिला डूंगरपुर की तहसील साबला व आसपुर की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट, रेडऑकर, चायना क्ले, सिलिका सैण्ड, बैरायटीज, क्वार्टज, क्वार्टजाईट, फेल्सपार, पायरोफ्लाईट एवं यलो ऑकर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट, रेडऑकर, चायना क्ले, सिलिका सैण्ड, बैरायटीज, क्वार्टज, क्वार्टजाईट, फेल्सपार, पायरोफ्लाईट एवं यलो ऑकर	ईआरसीसी	सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट, रेडऑकर, चायना क्ले, सिलिका सैण्ड, बैरायटीज, क्वार्टज, क्वार्टजाईट, फेल्सपार, पायरोफ्लाईट एवं यलो ऑकर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई. टी	200430500	15.03.2021	16.03.2021	11.30 ए.एम. से 01.30 पी.एम.
9	193	खनि अभियन्ता, आमेट	जिला राजसमंद की तहसील आमेट, भीम एवं देवगढ़ की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फेल्सपार, माईका, स्लेट स्टोन एवं फाईलाईट शिष्ट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फेल्सपार, माईका, स्लेट स्टोन, फाईलाईट शिष्ट	ईआरसीसी	क्वार्टज, फेल्सपार, माईका, स्लेट स्टोन एवं फाईलाईट शिष्ट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई. टी	87268900	15.03.2021	16.03.2021	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.

10	2	खनि अभियंता, नागौर	जिला नागौर की तहसील जायल के क्षेत्र बड़ी खाटू व तहसील डिडवाना के क्षेत्र छोटी खाटू की राजस्व सीमा में खनिज सैण्डस्टोन, पट्टी कातला, खण्डा एवं बैलास्ट के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सैण्डस्टोन, पट्टी कातला, खण्डा व बैलास्ट	आरसीसी	सैण्डस्टोन, खण्डा व बैलास्ट	अधिशुल्क, डी.एम. एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	41500700	15.03.2021	16.03.2021	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.
11	100 व 247	खनि अभियंता, उदयपुर	संपूर्ण जिला उदयपुर (तहसील ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलुम्बर, लसाड़िया को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज मारबल, सरपेन्टाईटन, ग्रेनाईट, लाईमस्टोन, फिलाईट व शिष्ट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मारबल, सरपेन्टाईटन, ग्रेनाईट, लाईमस्टोन, फिलाईट व शिष्ट	ईआरसीसी	मारबल, सरपेन्टाईटन, ग्रेनाईट, लाईमस्टोन, फिलाईट व शिष्ट (शिडयूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता / आकार / माप)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	54096800	15.03.2021	16.03.2021	12.30 पी.एम. से 02.30 पी.एम.
12	181	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़	जिला चित्तौड़ की तहसील कपासन, भुपालसागर एवं राशमी की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार व केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार व केलसाईट	ईआरसीसी	क्वार्टज, फ़ैल्सपार व केलसाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	21026400	15.03.2021	16.03.2021	12.30 पी.एम. से 02.30 पी.एम.
13	235	खनि अभियंता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बावडी की राजस्व सीमा में खनिज रॉयोलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रॉयोलाईट	ईआरसीसी	रॉयोलाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	7664900	15.03.2021	16.03.2021	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.
14	10	खनि अभियंता, अजमेर	जिला अजमेर की तहसील पुष्कर व अजमेर की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	38410700	15.03.2021	16.03.2021	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.

15	184	खनि अभियन्ता, भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील जहाजपुर, कोटडी, शाहपुरा, फुलियाकलां व माण्डलगढ की राजस्व सीमा में खनिज अभ्रक, फैल्सपार, क्वार्टज, सिलिका सैण्ड व केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज अभ्रक, फैल्सपार, क्वार्टज, सिलिका सैण्ड व केलसाईट	ईआरसीसी	अभ्रक, फैल्सपार, क्वार्टज, सिलिका सैण्ड व केलसाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	12158300	15.03.2021	16.03.2021	01.30 पी.एम. से 03.30 पी.एम.
16	102	सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव	जिला उदयपुर की तहसील खेरवाडा व ऋषभदेव की राजस्व सीमा में खनिज सरपेनटाईन (ग्रीन मार्बल) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सरपेनटाईन (ग्रीन मार्बल)	ईआरसीसी	सरपेनटाईन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	115051500	15.03.2021	16.03.2021	01.30 पी.एम. से 03.30 पी.एम.
17	3	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर की तहसील डिडवाना के ग्राम पावा व कोनियाडा-कोडिया की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	11698000	15.03.2021	16.03.2021	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
18	231	खनि अभियन्ता, चित्तौडगढ	जिला चित्तौडगढ की तहसील चित्तौडगढ के क्वारी क्षेत्र सावा-न्यू-सावा में खनिज लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी) के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी)	आरसीसी	लाईमस्टोन (शिड्यूल-11 के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/ माप)	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	5614700	15.03.2021	16.03.2021	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
19	196	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ	जिला प्रतापगढ की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट एवं रेड ऑकर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट एवं रेड ऑकर	ईआरसीसी	सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट एवं रेड ऑकर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	83715100	15.03.2021	16.03.2021	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.

20	199	सहायक खनि अभियंता, सावर	जिला अजमेर की तहसील केकडी व सावर की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल व मार्बल खण्ड (जिसका उपयोग चुनाई पत्थर के रूप में होता हों)	ईआरसीसी	मार्बल व मार्बल खण्ड (जिसका उपयोग चुनाई पत्थर में होता हों)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई. टी	323372400	15.03.2021	16.03.2021	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
21	108	सहायक खनि अभियंता, चुरू	जिला चुरू की तहसील बीदासर के राजस्व गांव घटियाल, बालेरा, चाडवास, डूँकर, रूपेली एवं साण्डवा तथा तहसील सुजानगढ के ग्राम गोपालपुरा की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई. टी	1733800	15.03.2021	16.03.2021	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
22	29	खनि अभियन्ता भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील भीलवाडा व सहाडा की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई. टी	57060800	15.03.2021	16.03.2021	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
23	183	खनि अभियन्ता, भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील जहाजपुर, कोटडी, हमीरगढ, भीलवाडा, बनेडा व माण्डलगढ की राजस्व सीमा में खनिज सोपरस्टोन, पायरोफलाईट, डोलोमाईट, चाईनाक्ले, रेड ऑकर व येलो ऑकर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपरस्टोन, पायरोफलाईट, डोलोमाईट, चाईनाक्ले, रेडऑकर व येलो ऑकर	ईआरसीसी	सोपरस्टोन, पायरोफलाईट, डोलोमाईट, चाईनाक्ले, रेडऑकर व येलो ऑकर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई. टी	177653100	15.03.2021	16.03.2021	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
24	69	खनि अभियन्ता सिरौही	जिला सिरौही की तहसील शिवगंज की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई. टी	8837900	15.03.2021	16.03.2021	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.

25	91	खनि अभियंता, बूंदी-II	जिला बून्दी की तहसील हिण्डोली की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	12327800	15.03.2021	16.03.2021	03.30 पी.एम. से 05.30 पी.एम.
26	242	खनि अभियंता, सीकर	जिला सीकर की तहसील श्रीमाधोपुर एवं खण्डेला की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	45232500	15.03.2021	16.03.2021	03.30 पी.एम. से 05.30 पी.एम.
27	185, 186 व 187	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	जिला भीलवाड़ा की तहसील आसीन्द, बदनोर, हुरडा रायपुर, सहाडा, हमीरगढ, भीलवाडा, माण्डल, बनेडा व करेडा की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार, माईका व केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार, माईका, केलसाईट	ईआरसीसी	क्वार्टज, फ़ैल्सपार, माईका व केलसाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	110411300	15.03.2021	16.03.2021	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
28	160	खनि अभियंता, अलवर	जिला अलवर की राजस्व सीमा (तहसील निमराना-बहरोड़ को छोड़कर) में खनिज सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फ़ैल्सपार के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फ़ैल्सपार	ईआरसीसी	सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फ़ैल्सपार	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	16111500	15.03.2021	16.03.2021	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
29	75	सहायक खनि अभियन्ता बालेसर	जिला जोधपुर की तहसील शेरगढ के ग्राम सेतरावा, थुम्बावली, खानोडी व लालपुरा की राजस्व सीमा में प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सैण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	सैण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	4149400	16.03.2021	17.03.2021	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
30	78	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	4187900	16.03.2021	17.03.2021	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

31	226	खनि अभियन्ता, बीकानेर	जिला बीकानेर की संपूर्ण राजस्व सीमा में खनिज बजरी, ग्रेवल, कंकर, मुर्रम, बालक्ले, फायरक्ले, चायना क्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर तथा सिलिकासेण्ड के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज बजरी, ग्रेवल, कंकर, मुर्रम, बालक्ले, फायरक्ले, चायना क्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर तथा सिलिकासेण्ड	ईआरसीसी	बजरी, ग्रेवल, कंकर, मुर्रम, बालक्ले, फायरक्ले, चायना क्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर तथा सिलिकासेण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई. टी	895340700	16.03.2021	17.03.2021	10.30 ए.एम. से 12.30 दोपहर
32	194	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाडा व पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खनिज रॉयोलाईट के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज रॉयोलाईट तथा जिला जोधपुर की तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	रॉयोलाईट व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई. टी	15586300	16.03.2021	17.03.2021	10.30 ए.एम. से 12.30 दोपहर
33	73	खनि अभियन्ता सोजत सिटी	जिला पाली की तहसील रोहट (ग्राम रोहट, सिनगारी, दूदली व उन्दरा को छोड़कर), पाली, मारवाड जंक्शन, सोजत व जैतारण की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन व रायोलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन व रायोलाईट	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन व रायोलाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई. टी	20616600	16.03.2021	17.03.2021	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.
34	87	खनि अभियन्ता कोटा	जिला कोटा की तहसील दीगोद व पीपल्दा तथा जिला बारां की तहसील अन्ता व मांगरोल की राजस्व सीमा में खनिज सेण्ड स्टोन एवं मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई. टी	22954100	16.03.2021	17.03.2021	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.

35	168	खनि अभियन्ता, बीकानेर	जिला बीकानेर की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम से अधिक अधिशुल्क व डी.एम.एफ.टी. तथा खातेदारी भूमि में जारी जिप्सम के परमिटों से निर्गमित खनिज जिप्सम	ईआरसीसी एवं आरसीसी	जिप्सम	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, प्रिमीयम शुल्क, परमिट शुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	618559300	16.03.2021	17.03.2021	11.30 ए.एम. से 01.30 पी.एम.
36	99	खनि अभियन्ता बांसवाड़ा	जिला बांसवाड़ा की तहसील बांसवाड़ा आबापुरा एवं छोटी सरवन की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	25866600	16.03.2021	17.03.2021	11.30 ए.एम. से 01.30 पी.एम.
37	98	खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर की तहसील डूंगरपुर व सागवाड़ा की राजस्व सीमा में खनिज पट्टी कातला के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित होने वाला खनिज पट्टी कातला व मेसेनरी स्टोन (कोपरे)	आरसीसी	पट्टी कातला व मेसेनरी स्टोन (कोपरे)	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1422700	16.03.2021	17.03.2021	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.
38	256	खनि अभियन्ता, बाड़मेर	जिला बाड़मेर की (तहसील सिवाणा व समदड़ी को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज सिलिकासेण्ड, चायना क्ले व बॉल क्ले के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सिलिकासेण्ड, चायना क्ले व बॉल क्ले	ईआरसीसी	सिलिकासेण्ड, चायना क्ले व बाल क्ले	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	2167400	16.03.2021	17.03.2021	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.
39	79	खनि अभियन्ता जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील जोधपुर की राजस्व सीमा में खनिज रायोलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रायोलाईट	ईआरसीसी	रायोलाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	14360200	16.03.2021	17.03.2021	12.30 पी.एम. से 02.30 पी.एम.

40	210	खनि अभियंता, श्रीगंगानगर	जिला श्रीगंगानगर की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम तथा खनिज जिप्सम के परमिटों से निर्गमित खनिज जिप्सम	ईआरसीसी / आरसीसी	जिप्सम	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, प्रिमीयम शुल्क, परमिट शुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	191460100	16.03.2021	17.03.2021	12.30 पी.एम. से 02.30 पी.एम.
41	81	खनि अभियन्ता जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाडा व पीपाड शहर के ग्राम सोवनिया, रणसी गांव व खेजडला की राजस्व सीमा में प्रभावशील क्वारी लाईसेंस से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1165300	16.03.2021	17.03.2021	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.
42	107	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाडा व पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाइट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट	ईआरसीसी	ग्रेनाइट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	5610000	16.03.2021	17.03.2021	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.
43	166 व 212	सहायक खनि अभियंता, गोटन	जिला नागौर की तहसील मेड़ता व रियाबड़ी की राजस्व सीमा में खनिज चायनाक्ले, क्वार्टज, फेल्सपार, पीली मिट्टी, केओलिन व सिलिकासेण्ड के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चायनाक्ले, क्वार्टज, फेल्सपार, पीली मिट्टी, केओलिन व सिलिकासेण्ड	ईआरसीसी	चायनाक्ले, क्वार्टज, फेल्सपार, पीली मिट्टी, केओलिन व सिलिकासेण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	65225400	16.03.2021	17.03.2021	01.30 पी.एम. से 03.30 पी.एम.
44	28	सहायक खनि अभियंता, रूपवास	जिला भरतपुर की तहसील रूपवास व बयाना की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता / आकार / माप)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	231554300	16.03.2021	17.03.2021	01.30 पी.एम. से 03.30 पी.एम.

45	60	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	जिला दौसा की तहसील महुवा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1853091	16.03.2021	17.03.2021	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
46	72	खनि अभियन्ता सोजत सिटी	जिला पाली की तहसील रोहट के ग्राम रोहट, सिणगारी, दूदली, उन्दरा की राजस्व सीमा में खनिज रायोलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रायोलाईट	ईआरसीसी	रायोलाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	2073200	16.03.2021	17.03.2021	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
47	1	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर की तहसील खींवसर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	18335100	16.03.2021	17.03.2021	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
48	77	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	जिला जोधपुर की तहसील फलौदी, बाप, लोहावट व तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम देणोक, बरसिंगों का बास, आउ, सूवाप व संतोष नगर (ईशरू) की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन, रॉयोलाईट व मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन, रॉयोलाईट व मार्बल	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन, रॉयोलाईट व मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	36040900	16.03.2021	17.03.2021	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
49	61	खनि अभियन्ता, अलवर	जिला अलवर की तहसील राजगढ, रैणी व कठूमर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाला खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	8977000	16.03.2021	17.03.2021	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.

50	67	खनि अभियन्ता, अलवर	जिला अलवर की तहसील बानसूर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाला खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	23862900	16.03.2021	17.03.2021	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
51	58	सहायक खनि अभियन्ता दौसा	जिला दौसा की तहसील दौसा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर, पट्टी कातला व झीकरा के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, पट्टी कातला व झीकरा	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, पट्टी कातला व झीकरा	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	4721800	16.03.2021	17.03.2021	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
52	13	खनि अभियन्ता ब्यावर	जिला पाली की तहसील रायपुर के राजस्व ग्राम बर, फतहखेडा, लवाया, बिराठियाखुर्द / कलां की सीमा में खनिज फिलाईशिष्ट, बैलास्ट व खण्डा के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज फिलाईशिष्ट, बैलास्ट व खण्डा	आरसीसी	फिलाईशिष्ट, बैलास्ट व खण्डा	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	3990600	16.03.2021	17.03.2021	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
53	70	खनि अभियन्ता सिरौही	जिला सिरौही की तहसील रेवदर की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	93623000	16.03.2021	17.03.2021	03.30 पी.एम. से 05.30 पी.एम.
54	82	खनि अभियन्ता जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बावडी के ग्राम बिराई की राजस्व सीमा में प्रभावशील क्वारी लाईसेंस से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन एवं मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	सैण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1313900	16.03.2021	17.03.2021	03.30 पी.एम. से 05.30 पी.एम.
55	6	खनि अभियन्ता अजमेर	जिला अजमेर की तहसील नसीराबाद की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	5320700	16.03.2021	17.03.2021	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.

56	76	सहायक खनि अभियन्ता बालेसर	जिला जोधपुर की तहसील बालेसर के ग्राम केतू व भालू की राजस्व सीमा में खनिज सैण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सैण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन एवं ग्राम मेरिया, डेरिया, पाबूनगर व बस्तवा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	आरसीसी व ईआरसीसी	सैण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, डी.एम. एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	27151800	16.03.2021	17.03.2021	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.
57	86	खनि अभियन्ता बाडमेर	जिला बाडमेर की तहसील शिव की राजस्व सीमा में खनिज बेन्टोनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज बेन्टोनाईट	ईआरसीसी	बेन्टोनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	43142800	16.03.2021	17.03.2021	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.
58	254	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	जिला जैसलमेर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	7534600	08.04.2021	09.04.2021	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
59	180	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़	जिला चित्तौड़ की तहसील चित्तौड़ व गंगरार की राजस्व सीमा में खनिज चाईनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व क्वार्टजाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चाईनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व क्वार्टजाईट	ईआरसीसी	चाईनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व क्वार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	59960900	08.04.2021	09.04.2021	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
60	172	खनि अभियन्ता, सीकर	जिला सीकर की तहसील श्रीमाधोपुर, खण्डेला एवं दातारामगढ़ की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार, क्वार्टजाईट, सिलिका सैण्ड, रेड ऑकर, सोपस्टोन, माईका एवं केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार, क्वार्टजाईट, सिलिका सैण्ड, रेड ऑकर, सोपस्टोन, माईका एवं केलसाईट	ईआरसीसी	क्वार्टज, फ़ैल्सपार, क्वार्टजाईट, सिलिका सैण्ड, रेड ऑकर, सोपस्टोन, माईका एवं केलसाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	53387800	08.04.2021	09.04.2021	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.

61	178, 190 व 191	खनि अभियन्ता, अजमेर	जिला अजमेर की संपूर्ण राजस्व सीमा व जिला पाली की तहसील रायपुर की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार, माईका, सोपस्टोन, केल्साईट, क्वार्टजाईट एवं ऑकर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार, माईका, सोपस्टोन, केल्साईट, क्वार्टजाईट एवं ऑकर	ईआरसीसी	क्वार्टज, फ़ैल्सपार, माईका, सोपस्टोन, केल्साईट, क्वार्टजाईट एवं ऑकर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	303702300	08.04.2021	09.04.2021	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
62	261	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर की तहसील नागौर व जायल की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के प्रभावशील खननपट्टों एवं जारी अस्थाई एस. टी. पी. परमिटों से निर्गमित खनिज जिप्सम	आरसीसी / ईआरसीसी	जिप्सम	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, प्रिमीयम शुल्क, परमिट शुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	56540500	08.04.2021	09.04.2021	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.

(अ) महत्वपूर्ण शर्तें

- 1 ई-नीलामी हेतु बोली वार्षिक ठेका राशि की ली जावेगी। विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 8 में वर्णित "ठेके की आरक्षित राशि" के उपर बोली प्रारंभ की जायेगी। सफल बोलीदाता की वार्षिक बोली 25 लाख रुपये तक होने पर प्रथम किश्त के रूप में बोली राशि का 25 प्रतिशत संविदा निष्पादन से पूर्व एवं शेष राशि संविदा के अनुसार अग्रिम रूप से तीन त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 25 लाख रुपये से अधिक है तो राशि संविदा अनुसार 12 समान किश्तों में अग्रिम रूप से जमा करानी होगी, जिसमें से प्रथम किश्त संविदा निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।
- 2 ठेकों की वार्षिक राशि ई-नीलामी में प्राप्त होने वाली उच्चतम बोली के आधार पर निर्धारित की जावेगी। परंतु ठेका स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी स्वतंत्र होंगे। यदि रॉयल्टी, परमिट फीस या अन्य चार्ज (जो लागू हो) में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो उक्त परिवर्तन की तिथि से ठेका राशि में आनुपातिक बढ़ोतरी/ कमी की जायेगी।
- 3 ठेका किसी अन्य को हस्तान्तरण /सबलेट तथा अर्द्धपण (सरेन्डर) नहीं किया जा सकेगा।
- 4 ठेका अवधि में प्रभावी खननपट्टा/ क्वारी लाईसेंस /परमिट के खण्डित/ सरेन्डर होने या नये स्वीकृत होने अथवा प्रभावी खननपट्टा के स्थिर भाटक में संशोधन होने/ न्यायालय / शासन / अन्य कारणों से खनन पट्टा /क्वारी लाईसेंस /परमिट के स्थायी या अस्थायी रूप से बंद कराये जाने या होने से वार्षिक ठेका राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- 5 ठेकों में कोई भी व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी आदि बोली में भाग ले सकते हैं। परन्तु उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्ति तिथि के 15 दिवस में विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 35 व 36 के प्रावधानों अनुसार उच्चतम बोली राशि के अनुसार निर्धारित क्लास का प्रस्तुत करना होगा (न कि आरक्षित राशि के अनुसार)।
- 6 रुपया 10 करोड से अधिक बिड राशि के ठेकों में ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर कम्प्यूटराईज तुलायंत्र स्थापित करना होगा जो ठेका समाप्ति के बाद विभाग को सुपुर्द करना होगा।

- 7 ई-ऑक्शन हेतु गाईडलाईन एवं ठेके की शर्तों का उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 (समय-समय पर हुये संशोधनों अनुसार) में किया हुआ है। ठेकेदार ठेके की सभी नियम/ शर्तों एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 व उसमें होने वाले संशोधनों की पालना करने हेतु बाध्य होगा। साथ ही ठेकेदार को शासन अथवा विभागीय अधिकारी के निर्देशों की पालना करनी होगी।
- 8 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता एम.एस. टी.सी. की वेबसाईट mstcecommerce.com पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।
- 9 विज्ञप्ति के क्रम संख्या 39 पर अंकित ठेका कोड 79 खनि अभियंता, जोधपुर का ठेका माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की याचिका संख्या 4729/2020 के निर्णय के अधधीन रहेगा।

(ब) बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 व ई-मेल आई डी mstcjaipur@mstcindia.co.in है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई-मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई-मेल से भिजवाने होंगे।

(स) ई-नीलामी की प्रक्रिया

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग-अलग अमानत राशि जमा कराये। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी। अमानत राशि ठेके की आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत होगी।
- 2 जिस ठेके में बोली प्राप्त होती है। उसमें भाग लेने वाले उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोलीदाताओं की बिड सिक्यूरिटी ठेका समाप्ति के पश्चात् अधिकतम 30 मिनट में बोलीदाता के वॉलेट में लौटा दी जावेगी। जिससे बोलीदाता लौटाई गई बिड सिक्यूरिटी राशि को अन्य ठेके की बोली में भाग लेने हेतु काम में ले सकता है। जिन ठेकों की बोली सायं 6:00 बजे के पश्चात् समाप्त होगी उनमें उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की बिड सिक्यूरिटी राशि उनके वॉलेट में बोली समाप्ति के अगले दिन प्रातः 10:00 बजे तक सेवा प्रदाता कंपनी (MSTC Ltd) द्वारा लौटाई जायेगी। क्योंकि सायं 6:00 बजे के पश्चात् किसी भी ठेके की बोली नये सिर से प्रारंभ नहीं होगी।
- 3 अमानत राशि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करानी होगी।

- 4 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 5 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 6 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे:-
 - i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोइन्ट इन्ट्रेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी ना बकाया प्रमाण पत्र जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
 - ii विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोइन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्कैन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई विभाग एवं सेवा प्रदाता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावे।
 1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।

नोट-शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।
 - iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
 - iv बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
 - v आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
 - vi PAN card / TIN की प्रति।
 - vii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राइविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
 - viii ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।
 - ix विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति (प्रस्तुत की गई बोली की क्लास अनुसार)
- 8 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उपरोक्त दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये उक्त ठेके की आगामी बोली में भाग लेने हेतु डिबार किया जायेगा।


 (एन. के. कोठारी)
 अतिरिक्त निदेशक (खान मु०)

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC III)/2021/६२९ - ६३०

दिनांक: 27.03.2021

प्रतिलिपि :-

- 1- शाखा प्रबंधक, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-

अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब - अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-I/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/ उदयपुर/राजसमन्द-I/ II/आमेर/भीलवाडा/चित्तोडगढ़/प्रतापगढ़/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।

द -सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ़/चुरू/ नीमकाथाना/सावर।

(अनिल खिमेसरा)

अधीक्षण खनि अभियंता (नीप्र)